

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलरामपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 04 जुलाई, 2022

विषय:- नदी के कटान से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को पुनर्स्थापित किये जाने हेतु भूमि क्रय कर निःशुल्क आवंटन हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2501/आ०स०/डी०डी०एम०ए०(पुनर्वास)/2022, दिनांक-04 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या- 2579/ आ०स०/डी०डी०एम०ए०(पुनर्वास)/2022, दिनांक-17 जून, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम-कल्यानपुर, तहसील- बलरामपुर में राप्ती नदी के कटान से प्रभावित 66 व्यक्तियों/परिवारों को पुनर्स्थापित करने के लिए 0.989 हे० आवश्यक भूमि क्रय कर निःशुल्क आवंटन हेतु रु० 72,70,560/- (बहत्तर लाख सत्तर हजार पाँच सौ साठ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, बलरामपुर के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) तीव्र बाढ़ में बह जाने वाले ग्रामों के विस्थापितों को पुनर्वासित किये जाने हेतु भूमि का क्रय कर निःशुल्क आवंटन कराये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-2010/1-10-2012- 33(37)/2012 टी०सी०-1, दिनांक 31.07.2012 में उल्लिखित व्यवस्था/दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत नियम एवं शासनादेश के अनुसार नियमानुसार किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा। जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का 31 मार्च, 2023 तक पूर्णरूपेण उपयोग कर लिया जाय और यदि धनराशि शेष बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित कर दिया जाय।
- (3) उक्त धनराशि का उपयोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्विका खण्ड-5 के भाग-1 के प्रस्तर-369 एच० के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42-आई० में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

(4) व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

2- उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रू० 72,70,560/- (रूपये बहत्तर लाख सत्तर हजार पाँच सौ साठ मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-प्राकृतिक आपदाएं-08- प्रदेश में विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि क्रय-24 वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

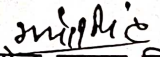
(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या:- 1158 (1)/एक-10-2021-33(117)/2017. तददिनांकित

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० जयनाराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र० ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र० ।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र०।
- 6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र० ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

९

Allotment Grid Report

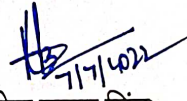
वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-07/07/2022

प्रेषण संख्या:- 1158
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1158
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - प्राकृतिक आपदाएं
08 - प्रदेश में विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि क्रय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	7270560 7270560	7270560 7270560
	योग	वर्तमान प्रगामी	7270560 7270560	7270560 7270560

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बहत्तर लाख सत्तर हजार पाँच सौ साठ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बहत्तर लाख सत्तर हजार पाँच सौ साठ


(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।